

295

नेग० - ०३। ६। २०१८। भर्ता। भृत्य

MO3

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



योगेन्द्र प्रताप सिंह पिता श्री श्रवण प्रताप सिंह निवासी पंगार खुद्द  
तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म०प्र० ————— निगराकार

## बनाम

1. श्रीमती विनय सिंह पत्नी अरूण प्रताप सिंह निवासी सिन्धीकैम्प

सतना वार्ड नं०-१७ रिक्सा कालोनी केशुआयल दालमिल के  
सामने तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

2. श्रीमती कृष्ण सिंह पत्नी स्व. श्री सरजू प्रताप सिंह (फौत)

जरिये वारिसान—

क) अरूण प्रताप सिंह तनय स्व. श्री सरजू प्रताप सिंह दोनो  
निवासी पंगारखुद्द तहसील बिरसिंहपुर हाल निवासी सिन्धीकैम्प-  
सतना वार्ड नं०-१७ रिक्सा कालोनी केशुआयल दालमिल के  
सामने तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

ख) श्रवण प्रताप सिंह तनय स्व. श्री सरजू प्रताप सिंह निवासी  
पंगारखुद्द तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म०प्र०

ग) श्रीमती सुशीला सिंह पुत्री स्व. श्री सरजू प्रताप सिंह पत्नी  
स्व. श्री रामपाल सिंह निवासी तेदुंरा तहसील विसण्डा जिला  
बांदा उ०प्र०

घ) श्रीमती लीला सिंह पुत्री स्व. श्री सरजू प्रताप सिंह पत्नी  
रणजीत सिंह (फौत) जरिये वारिसान—

अ) हीरालाल सिंह

ब) छोटू सिंह दोनो के पिता रणजीत सिंह निवासी तेदुंरा

तहसील विसण्डा जिला बांदा उ०प्र०

क्रमशः——2

*Ram Singh*  
26/5/18

*M*

*M*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामाय निग.3116 / 2018

जिला—सतना

योगेन्द्र प्रताप सिंह/विनय सिंह

(1)

(2)

(3)

24.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना० तहसीलदार, हत्त जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक १४/अ-६(२)/२०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक १६.०५.२०१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक २५.०९.२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १६.०७.१९ को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।

  
(बी.एम.शर्मा),  
सदस्य